फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : आनन्द आशिया | विपक्षी : ललिता देवी

किस्म मुकदमा – आदेश 9 नियम 9 जा.दी. | पत्रावली संख्या : 50/14

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :– 21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व अधिवक्ता प्रार्थीगण को आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद भी प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रार्थीगण आज भी बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। प्रार्थीगण द्वारा समय पर न्यायालय आदेशानुसार तामिले प्रस्तुत नहीं करना एवं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना, यह अपने आप में प्रार्थीगण का इस प्रार्थना पत्र के प्रति अरूचि को दर्शाता हैं।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 जा.दी. में स्पष्ट उल्लेख है कि **"जहां वादी, सम्मन तामील के बिना लौटाने के पश्चात् 7 दिन तक नये सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता हैं, वहां वाद का खारिज किया जाना"** इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में भी प्रार्थीगण को दिनांक 12.09.2017 से सम्मन प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। उसके पश्चात् भी प्रार्थीगण सम्मन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हैं एवं स्वयं भी आज अनुपस्थित हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.दी. के तहत् इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.11 12:56:41 IST
Reason: SelfAttested